

कार्यालय कलेक्टर, (भू-अभिलेख शाखा) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ0ग0)

क्रमांक / 974 / भू.अ. / 2022

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 28/12/2021

// प्रमाण-पत्र //

कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग रा.रा. मार्ग संभाग बिलासुपर (छ0ग0) को रा. क्रमांक -45 (विस्तारित) केवचीं-केंदा-मझवानी-रतनपुर मार्ग के 4/2 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला में गौरेला वनमंडल के गौरखेड़ा ग्राम के वनभूमि 0.101 एवं ठेंगाडाड़, खोडरी, बनझोरका, जोगीसार, डुगरा, ग्राम के राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 0.660 हे0 राजस्व वनभूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन भूमि (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 0.101 हे0 एवं राजस्व वन भूमि 0.660 हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम गौरखेड़ा, ठेंगाडाड़, खोडरी, बनझोरका, जोगीसार, डुगरा, तहसील पेण्ड्रारोड में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव क्रमांक क्रमशः 03, 03, 32, 03, 32, 11 दिनांक क्रमशः 28.12.2021, 28.12.2021, 28.12.2021, 28.12.2021, 24.01.2022, 02.10.2021 (प्रदर्श-अ) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रदर्श ब पर प्रदर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव गौरखेड़ा, ठेंगाडाड़, खोडरी, बनझोरका, जोगीसार, डुगरा ग्राम के क्रमशः सुकलाल वाकरे, चैतराम नागेश, उमैंद सिंह श्याम, गंगोत्री, लीला पैकरा, संगीता उईके. की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक क्रमशः 28.12.2021, 28.12.2021, 28.12.2021, 24.01.2022, 02.10.2021 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दिनांक सहित) एवं इसमें क्रमशः प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई। प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :-

वन भूमि

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा हेक्टेयर में
1	गौरखेड़ा	प्रेमवती पति दरेशन	0.101
		योग :-	0.101
राजस्व वन भूमि			
2	ठेंगाडाड़	रामप्रसाद पिता बिदूर	0.020
		परसराम पिता ननकी	0.016
		डोकरू पिता मंगल	0.020
		चरनलाल पिता गुलाब वगै0	0.032
		कृपाल सिंह पिता रामचरण वगै0	0.012

3	खोडरी	देवलाल पिता डोगहरा	0.004
4	बनझोरका	रामबाई पति संतराम	0.194
		रामलाल पिता विक्रम	0.024
		सुखमंतिन पिता धनसिंह	0.008
		अशोक सिंह पिता सहनसिंह	0.016
		शांति बाई पति महिपाल	0.024
		रतिराम पिता दुकालू	0.049
5	जोगीसार	यशपाल पिता अज्ञान	0.012
		शिव सिंह पिता सुखीराम	0.020
6	डुगरा	कुमार सिंह पिता अनुब सिंह	0.004
		रामकृपाल पिता पवन सिंह	0.002
		फगुन सिंह पिता रामचरण	0.002
		राजेन्द्र पिता त्रिभुवन	0.016
		प्रीतम सिंह पिता संतन सिंह	0.024
		बनसराम पिता रामसिंह	0.004
		सनसराम पिता रामसिंह	0.016
		बनवारी पिता बिसाहन	0.040
7	पीपरखुंटी	निरंक	0.00
8	बेलपत	निरंक	0.00
9	उमरखोही	निरंक	0.00
10	कैवची	निरंक	0.00
		योग:-	0.660

3 यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिया गया उसमें ग्राम सभा के कमशः न्यूनतम 56.66 प्रतिशत से उपरोक्त सभी ग्रामों का कोरम न्यूनतम प्रतिशत से अधिक था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक कमशः 03, 03, 32, 03, 32,11 दिनांक 28.12.2021, 28.12.2021, 28.12.2021, 24.01.2022, 02.10.2021 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(म) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के कमशः दिनांक 28.12.2021, 28.12.2021, 28.12.2021, 24.01.2022, 02.10.2021 एवं 03, 03, 32, 03, 32,11 के संकल्पों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


कलेक्टर
 जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
 (छ.ग.)